राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत दिवेर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत दिवेर

प्रकरण सं. – 111/2010 रे0वा0 निर्णय दिनांक– 01.07.2015

अनवान

1. श्रीमति तुलसीदेवी पुत्री विजयसिह पत्नि रामसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री आसुसिहं पिता दूदसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
2. श्रीमति वरदी पत्नि विजयसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
3. श्रीमति लालीदेवी पुत्री विजयसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 व 188 आरटीएक्ट

यह कि मौजा दिवेर पटवार क्षैत्र दिवेर तहसील भीम में अन्य खातेदारान के साथ खाता संख्या व खसरा संख्या के नीचे वर्णित आराजियात स्थित है जो सम्वत 2061 से 2064 की जमाबन्दी में अंकित है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
885	178	00	04	10	
	179	00	05	05	
	183	00	14	00	
	184	00	09	00	
	193/5951	00	06	00	
	193/5952	00	12	00	
	198/5971	00	16	00	
	198/5972	01	00	00	
	199	00	06	10	
	205/5684	00	04	00	
	206	00	17	00	
	207	00	05	00	
	208	00	04	15	
	209	00	07	00	
	210	01	01	10	
	211	00	06	10	
	212	00	12	10	
	628	00	03	00	
	638	00	15	00	
	640	00	03	00	
	1252	00	06	05	
	1253	00	05	00	
	1254	00	10	10	
	1321	00	17	00	
	1323	00	09	00	
914	257	03	00	00	
915	176	00	10	00	
	177	00	06	10	
919	1224	00	08	00	
920	255	00	07	10	
	256	00	04	10	
	258	00	05	00	
	259	00	03	00	
	260	00	19	00	
	631	00	01	00	
	634	00	02	10	
	637	00	05	10	
	3342	02	05	00	
961	2990	00	01	15	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner

961	2990	00	01	15	
	2991	00	16	10	
	2998	00	13	00	
	3265	01	06	00	
	3266	01	06	00	
886	478	23	04	00	

उक्त वर्णित आराजियात में अन्य मालिको के साथ भूरसिंह पिता गोमसिंह जाति रावत निवासी दिवेर का हिस्सा भी दर्ज था व वे अपने हिस्से पर निरन्तर शान्ति पूर्वक काश्त करते कराते चले आ रहे थे व वृद्ध होने पर उनके हिस्से पर वादिया व उसका पति मिलकर काश्त करते रहे थे। श्री भूरसिंह पिता गोमसिंह रावत के कोई संतान नही होने के कारण से उनकी सेवा सुश्रुता वादिया ही निरन्तर करती चली आ रही है व उनके हर सुख दुख की भागीदार वादिया ही थी जो कि उनके छोटे भाई की बच्ची है व वे ही उनकी देखभाल करती है।

मेरी सेवा सुश्रुता से प्रसन्न होकर व भविष्य में उक्त भूमि संबन्धित कोई विवाद नही हो इसको ध्यान में रखकर उन्होने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति के मुतलिक वसीयतनामा दिनांक 28.11.2006 को उप पंजीकृत महोदय भीम के यहॉ पंजीयन भी करवा दिया था। उसके पश्चात भूरसिंह की मृत्यु हो जाने पर मुझ वादिया द्वारा उक्त वसीयतनामे के आधार पर नामान्तकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का दिवेर को दिया था व पटवारी द्वारा यह कहा गया कि इसकी फोटो स्टेट मुझे दे दो मैं आपके पक्ष में भूरसिंह पिता गोमसिंह की जमीन का नामान्तरकण खोल दूंगा। इसी आधार पर मैं विश्वास करती चली आ रही थी व अपने भुरसिंह के हिस्से पर निरन्तर शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही थी।

प्रतिवादिया ने चुपके-चुपके पटवारी से मिलीभगत कर वसीयत को हटाते हुए उनके कोई वारिस नही होना मानकर उनके फोटो दाखिल खारिज कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक के पक्ष में खुलवा दिया व उक्त वसीयतनामा को बिल्कुल छिपा दिया इस प्रकार से नामान्तकरण संख्या 1928 पटवारी हल्का प्रतिवादी संख्या 1 ने मेरा तथा उसके आधार पर उपके प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा तस्दीक भी करवा दिया। जबकि भूरसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल अचल सम्पतियो के लिये वसीयतनामा वादिया के पक्ष में पंजीयन करवा दिया था व उस आधार पर भूरसिंह की समस्त चल-अचल सम्पतियो की एक मात्र उत्तराधिकारी वादिया अकेली हो गई थी व उसी अनुरूप वे उनके हिस्से पर निरन्तर शान्तिपूर्वक काश्त करती कराती चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने मिलीभगत करते हुए लाभ प्राप्त करने की मंशा से पहली ही विजयसिंह जो कि सन्तान बना तथा फिर भूरसिंह की भी सन्तान बन आराजियात में हिस्सेदार बना गया जबकि स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 आसुसिंह की इन्ही जमीनो में अपने पिता का नाम हेमसिंह के साथ दूदसिंह अकित है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि आसुसिंह के पिता नाम रिकार्ड में ही हो उन्ही खातो मे दो पिता का नाम अंकित किया था जो भी फर्जी व बनावटी है। अन्यंत्र आसुसिंह पिता दुदसिंह व अभी जो नामान्तकरण संख्या 1928 खुलवाया उसमें आसुसिंह पिता विजयसिंह बताया गया है।

यह कि विजयसिंह की सन्तान वादिया जीवित हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 भी उनकी सन्तान है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तरीके से स्वयं विजयसिंह का सन्तान होना स्वीकार बताकर व हमें उनकी पुत्रिया बताते हुए मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अकेले वारिस बनकर अकेले अपनी नाम करवा दी है। जबकि वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 जीवित होकर उनकी उत्तराधिकारी है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दिवेर** मे पेश हुआ। वादी एव प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। कलम संख्या 1 में वर्णित आरजियात मे भूरसिंह के स्थान पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सख्या 1 से 3 का नाम भूरसिंह के स्थान से हटाया जावे। उपरोक्तानुसार वादिया एवं प्रतिवादीगणो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलेक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड
जिला -

Scanned by CamScanner